न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–77/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– मथुरा दत्त जोशी पुत्र मोतीराम जोशी (मृतक), 1/1. देवेन्द्र जोशी पुत्र मथुरा दत्त जोशी, 1/2. श्रीमती तिलका देवी पत्नी स्व0 मथुरा दत्त जोशी, निवासी–ग्राम व पोस्ट नकरौंदा, जिला देहरादून।

बनाम

1– देवी दत्त बरना पुत्र गोपाल दत्त बरना, निवासी–ग्राम व पोस्ट नकरौंदा, जिला देहरादून, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री देवेन्द्र जोशी निगरानीकर्ता स्वयं।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1 : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–24/07/08 अन्तर्गत धारा–28 भू0रा0अधि0 मथुरा दत्त बनाम देवी दत्त में पारित निर्णयादेश दिनांक 17–11–2014 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि वादग्रस्त खसरा नम्बरों की बन्दोबस्ती मानचित्र द्वारा जो स्थिति दिखाई गई है वह वास्तविकता के विपरीत है जिसे शुद्ध कर ही क्षेत्रफल की त्रुटि सही हो सकती थी परन्तु विद्वान कलेक्टर ने आलोच्य प्रकरण का धारा–28 भू0रा0अधि0 का प्रकरण न पाकर व धारा–33/39 भू0रा0अधि0 का प्रकरण मानकर उनमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया है एवं ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नही था।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता संख्या–1/1 के पिता एवं 1/2 के पति मथुरा दत्त पुत्र मोतीराम निवासी–नकरौंदा, जिला देहरादून ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–28 भू0रा0अधि0 कलेक्टर/जिलाधिकारी, देहरादून के समक्ष दिनांक 17–11–2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी भूमि खसरा नं0–768 व 769 पुराना जिनके नये नम्बर–1459, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1473ख, 1474 कुल क्षेत्रफल 0.518 है0 का एकमात्र मालिक, स्वामी व भूमिधर काश्तकार है जिसे उसने पूर्व स्वामी पूरन सिंह से विक्रय पत्र दिनांक 02–08–1974 से क्रय की है, कि प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बरों से लगती हुई भूमि देवी दत्त, मुरली दत्त, भोला दत्त पुत्रगण गोपाल दत्त एवं अमर सिंह पुत्र खुनिया, निवासीगण–नकरौंदा की है, कि देवी दत्त की भूमि खसरा नं0–1456, 1458, 1462, 1463 कुल रकवा 0.462 है0 है, कि पुराना खसरा नं0–768 में कुछ भाग में प्रार्थी का तीस वर्षों पुराना मकान तथा खसरा नं0–769 के कुछ भाग

में खेती की सिंचाई हेतु 14 वर्ष पुराना ट्यूबवैल लगा है, कि बन्दोबस्त के दौरान अंकित नक्शे में खसरा नं0–768 व 769 को पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा भाग में फैलाकर दर्शाया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, कि नया खसरा नं0–1462 (पुराना 769) जिसका क्षेत्रफल 0.050 है0 दर्शाया गया है वह भूमि प्रार्थी की है तथा प्रार्थी का उसपर 14 वर्षों से ट्यूबवैल लगा है किन्तु खसरो में उसे देवी दत्त के नाम गलत दर्ज किया गया है, एवं कि बन्दोबस्त में उक्त पुराने खसरा नं0–768 एवं 769 से बनाये गये नये नम्बरों को गलत रेखांकित किया गया है तथा मैड़ो, रकबो आदि में भी अत्याधिक परिवर्तन तथा त्रुटि की गई है जो एक लिपिकीय भूल अथवा त्रुटि है अतः उसे संशोधित किया जाना आवश्यक है तद्नुसार संशोधित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, देहरादून से जांच आख्या प्राप्त की गई एवं प्रतिपक्षी को नोटिस भेजा गया जिसके सापेक्ष उत्तरदाता देवी दत्त द्वारा दिनांक 11–05–2005 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। पक्षकारों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में विद्वान कलेक्टर ने यह कहते हुए कि प्रथम दृष्टया यह प्रकरण धारा–28 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत नही है एवं कि बन्दोबस्त के दौरान खसरा नं0 में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत परगनाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर शुद्ध किया जा सकता है अपने आदेश दिनांक 17–11–2014 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–28 भू0रा0अधि0 पोषणीय न मानते हुए धारा–33/39 दुरूस्ती का प्रकरण मानते हुए प्रकरण परगनाधिकारी, डोईवाला को दो माह के अन्दर निस्तारण हेतु प्रेषित किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने निगरानीकर्तागण में से स्वयं श्री देवेन्द्र जोशी को उनकी ओर से सुना एवं उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता श्री देवेन्द्र जोशी का तर्क है कि विद्वान कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रकरण को त्रुटिपूर्ण रूप से दुरूस्ती का प्रकरण अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 मानकर उसे परगनाधिकारी, डोईवाला को अनुचित रूप से प्रेषित किया है जबकि प्रकरण मानचित्र शुद्धि का ही है एवं भूमि तहसील, देहरादून में स्थित होने के कारण क्षेत्राधिकार परगनाधिकारी, देहरादून का है। उसके अनुसार खसरा संख्या–1462 पर निगरानीकर्तागण का अध्यासन है जिसमें उनका नलकूप लगा हुआ है परन्तु इस भूमि पर उत्तरदाता संख्या–1 का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है यह खसरा संख्या–1462 निगरानीकर्तागण के नाम की भूमि खसरा संख्या–1465 से लगती हुई भूमि है। खसरा संख्या–1462 में निगरानीकर्तागण का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित होने पर खसरा संख्या–1465 में प्रदर्शित भूमि के क्षेत्रफल का समायोजन खसरा संख्या–1462 के क्षेत्रफल की कमी से हो जाता है।

दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि खसरा संख्या–1462 का अभिलिखित भूमिधर स्वीकार्य रूप से उत्तरदाता संख्या–1 है एवं उसके द्वारा मानचित्र संशोधन का आवेदन किया ही नही गया है। यदि निगरानीकर्तागण खसरा संख्या–1462 में अपना नाम अंकित करवाना चाहते है तो ऐसा धारा–28 भू0रा0अधि0 के अधीन सम्भव नही है। निगरानीकर्तागण को दुरूस्ती प्रकरण अथवा घोषणात्मक वाद योजित करना चाहिए।

खसरा संख्या–1462 जिसके मानचित्र दुरूस्ती हेतु आलोच्य कार्यवाही व्यवहरित हुई है स्पष्टतः खतौनी की प्रविष्टि के अनुसार उत्तरदाता संख्या–1 के नाम भूमिधरी में अंकित है। निगरानीकर्तागण आलोच्य प्रकरण में इस खसरा नं0–1462 में अपने नाम का अंकन कराना चाहते है तत्पश्चात ही खसरा संख्या–1462 व 1465 के क्षेत्रफल के अनुसार मानचित्र शुद्धि चाहते है जबकि वे खसरा संख्या–1462 के अभिलिखित भूमिधर नही है। यदि उनका मानना है कि खसरा संख्या–1462 उत्तरदाता संख्या–1 का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है तो ऐसी त्रुटि का सुधार धारा–28 भू0रा0अधि0 की कार्यवाही में विधितः सम्भव नही है। तद्नुसार विद्वान कलेक्टर ने अपने आक्षेपित आदेश से प्रकरण अस्वीकार कर उसे अभिलेखीय त्रुटि का प्रकरण मानकर सम्बन्धित परगनाधिकारी को प्रेषित कर कोई त्रुटि अथवा विधिक अनियमितता नही की है। निगरानीकर्तागण के समक्ष यथास्थिति अभिलेख दुरूस्ती अथवा घोषणात्मक वाद का विकल्प उपलब्ध है परन्तु आलोच्य प्रकरण निश्चित रूप से धारा–28 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत नही आता है। निगरानी मात्र इस आधार पर अस्वीकृत होने योग्य है। जंहा तक विद्वान कलेक्टर द्वारा प्रकरण परगनाधिकारी, डोईवाला को प्रेषित किये जाने का प्रश्न है उनका यह निर्देश इस आशय से संशोधित होने योग्य है कि वादग्रस्त भूमि तहसील, देहरादून में स्थित होने के दृष्टिगत प्रकरण परगनाधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया जाए।

.आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। विद्वान कलेक्टर के आक्षेपित आदेश में दिये गये निर्देश का आशय यह समझा जाए कि प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु परगनाधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया गया है एवं प्रकरण परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 08–05–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)